न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्रीमति हरबिन्दर डी सिंह (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 58/2018/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. पूरीलाल दत्तक पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर नि. दुबलिया तह.पिडावा

– प्रार्थी

बनाम

1. श्याम सुन्दर पि. हरीसिंह जाति गुर्जर नि. दुबलिया तह.पिडावा
2. हरीसिंह पि. नानूराम जाति गुर्जर नि. दुबलिया तह.पिडावा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री सुभाष दांगी
वकील अप्रार्थीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

आदेश दिनांक :

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम दुबलिया की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 131 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 588 रकबा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है फिर भी अप्रार्थीगण जबरन बेजा मदाखलत कर भूमि व फसल को खुर्द बुर्द करने, हांकने एवं हडपने की कोशिश में है। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। यदि अप्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो वे उनके अवैधानिक कृत्य में सफल हो जावेगे जिससे प्रार्थी के अधिकारो को भारी क्षति होगी। प्रार्थी खातेदार कब्जेधारी टीनेन्ट होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया सही है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के पात्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम दुबलिया

COURT 2019 (REPAIRED)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned by CamScanner

की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 588 रकबा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि व फसल के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी , अतिक्रमण एवं काश्त करने में विघ्न कारित नहीं करे एवं भूमि को हडपने की कोशिश नहीं करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम दुबलिया की नकल जमाबंदी खाता सं. 131 पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय विपरीत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया व निवेदन किया कि ख.नं. 588 रकबा 9 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी को कब्जा काश्त नहीं है। यह भूमि अप्रार्थी सं. 2 ने दि. 10.06.1999 को 31000 रूपये में खरीद कर इकरारनामा तैयार करवाकर गवाहान के समक्ष विक्रय राशि 31000 रूपये अदा कर कब्जा प्राप्त किया तभी से निरन्तर अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 कृषक नहीं है व राजकीय कर्मचारी है जिसे गलत पक्षकार बनाया गया है। इस कारण अप्रार्थी सं. 1 का पक्षकार बनाया जाना कुसंयोजन है जिसे पक्षकार से हटाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने बनावटी एवं आधारहीन , मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज योग्य है। विपरीत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 एक ही पारिवारिक शजरे के वारीस है एवं प्रार्थी को रूपयों की आवश्यकता होने से उसने ख.नं. 588 रकबा 9 बिस्वा , ख.नं. 570 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा का 2/6 भाग दि. 10.06.1999 की बेचान कीमत 45000 रूप्ये प्राप्त कर इकरारनामा लिखवाया। राशि की गणना विपरीत प्रार्थना पत्र के चरण ब व स में उल्लेखित है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर विगत 19 वर्षो से अखण्ड कब्जा काश्त है जिससे अप्रार्थी सं. 1 का एडवर्स पजेशन पूर्ण हो चुका है। इस कारण अप्रार्थी सं. 1 ने अपना खातेदारी टाईटल प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण है। कब्जा अप्रार्थीगण के पास होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी की फसल वादग्रस्त भूमि ख.नं. 588 रकबा 9 बिस्वा में है इस कारण अपूरनीय क्षति भी अप्रार्थी की होनी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर अप्रार्थीगण का विपरीत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को ख.नं. 588 रकबा 9 बिस्वा भूमि में से अप्रार्थी को बेदखल नहीं करे एवं कब्जा करने का प्रयास नहीं करे। अप्रार्थीगण के शांतिपूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त में रोक अवरोध उत्पन्न नहीं करे। अप्रार्थी की ओर से इकरारनामा दि. 10.06.99 की छायाप्रति पेश की।

प्रार्थी की ओर से विपरीत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने दावा तथाकथित अन रजिस्टर्ड इकरारनामें एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश किया जो विधि द्वारा वर्जित है एवं पोषणीय नहीं है व इस न्यायालय के श्रवणाधिकार से बाहर है। (आर.आर.टी. 2017(2) पेज नं. 1100) विपरीत वाद व प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। विपरीत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने गलत शजरा प्रस्तुत किया है। उक्त शजरे का प्रार्थना पत्र से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी ने ख.नं. 588 रकबा 9 बिस्वा भूमि का कभी भी कोई बेचान नहीं किया है एवं न ही कोई इकरारनामा लिखवाया है। अतः अप्रार्थीगण का विपरीत प्रार्थना पत्र खारीज कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी की ओर से बालाराम पि. कन्हीराम गुर्जर , कंवरलाल पि. परसराम गुर्जर , भगवान्सिंह पि. भंवरसिंह राजपूत , नानूराम पि. पूरीलाल गुर्जर , पूरीलाल पि. शिवलाल गुर्जर के शपथ पत्र पेश किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से उदालाल पि. घासीलाल गुर्जर , मथुरालाल पि. भेरूलाल गुर्जर , भगवानसिंह पि. मोतीलाल गुर्जर , रामप्रसाद पि. नानूराम गुर्जर , जगदीशचन्द पि. लक्ष्मीनारायण ब्राहमण , भवानीसिंह पि. शिवसिंह राजपूत , राधेश्याम पि. नाथूलाल लुहार , भागीरथ पि. नानूराम लुहार के शपथ पत्र एवं वादग्रस्त आराजी के फोटोग्राफ पेश किये गये।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा RRT 2017(2) page 1143 , RRT 2017(2) page 1100 , RRT 2006-07(sup) page 672 , RRT 2017(2) page 883 , RRT 2004(2) page 1045 , RRT 2007(1) page 103 की न्यायिक नजीरे पेश की गई जिनका एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम दुबलिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 588 रकबा 9 बिस्वा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत हो सके कि प्रार्थी खातेदार का कब्जा काश्त नहीं हो। खातेदार काश्तकार को स्वयं की रिकार्डेड भूमि हेतु प्रार्थना पत्र लाने का पूर्णाधिकार

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by CamScanner

है। सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरनीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी की है। अतः अप्रार्थीगण का विपरीत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग की ग्राम दुबलिया की आराजी ख. नं. 588 रकबा 9 बिस्वा भूमि में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करे एवं किसी अन्य से नहीं करावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

28.11.19

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2020.01.07 13:42:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: